

फर्द अहकाम
(नियम 26)

तालुका उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

बनाम कदमा
बनाम बालूराम वर्मा
कदमा दावा :- स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 10 सन् 2017

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
31/17	<p>कादी श्री ओर लं कर्म श्री सदीम खान ने वाद-पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिला ली गयी। वाद पत्र दर्ज शपथ किया जाये। प्रतिवादीगण से शरिफे सम्मन वाकफ किया जाकर मिसल अर्दिना दिया 15-2-17 को पेश हो। <u>Am</u></p> <p>15/02 पत्रावली पेश हुई। गकुलाय फरिफेन जज/अनुमति: पीअरवीन अधिकारी से /अलग कार्य में ब्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-4-17 को पेश हो। <u>(2)</u></p> <p>24/07 पत्रावली पेश हुई। गकुलाय फरिफेन जज/अनुमति: पीअरवीन अधिकारी से /अलग कार्य में ब्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19-06-17 को पेश हो। <u>(2)</u></p> <p>22/07 इकजाही भेजीपने से आज पत्रावली पेश हुई। गकुलाय फरिफेन जज/अनुमति: पीअरवीन अधिकारी से /अलग कार्य में ब्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12-01-18 को पेश हो। <u>(2)</u></p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
19 ⁰¹ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली परिकल्पित कम/अनुसंधान पीठाधीन अधिकारी कोरे /अन्य कार्म में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16.04.18 को पेश हो।</p>
	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली परिकल्पित कम/अनुसंधान पीठाधीन अधिकारी कोरे /अन्य कार्म में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक..... को पेश हो।</p>
16 ⁰⁴ / ₁₈	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में रखे जाने योग्य पायी जाने पर कम्य स्थल अदालत सेवा केन्द्र कोरडी जिला में पेश हो। 04-05-2018</p>
04 ⁰⁵ / ₁₈	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत कम्य स्थल अदालत सेवा केन्द्र, कोरडी जिल्ला के क्षेत्र में पेश हुई। पत्रावली को पत्रावली के माध्यम से प्रेषित होकर दावे को अोट आगे नहीं पलना चाहता है। अतः दावा विद्वा किडे जाते ही अनुसंधान करे। पत्रावली को प्रार्थना पर रबीकार किया जाकर दावा विद्वा किडे जाते ही अनुसंधान प्रदान की जाये है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर अग्रिम की जाती है। पत्रावली के माध्यम से सुमाद होकर नम्बर के क्रम से तत्तः डाड लउकील दायित्व प्रकृत हो। निर्णय मजसे काम सुनाया गया।</p>

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार - 2018